बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० – पी0पी0एम0–45/2016 3831 /कृ0, पटना दिनांक 01-09-2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य योजना मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के खरीफ कार्यक्रम हेतु वर्ष 2016–17 में 13.1833 करोड़ रूपये के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए 2.6366 करोड़ रू0 (दो करोड़ तीरसठ लाख छियाराठ हजार रूपये) की निकारी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

निदेशानुसार बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य योजना मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के खरीफ कार्यक्रम हेतु वर्ष 2016–17 में 13.1833 करोड़ रूपये के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए 2.6366 करोड़ रू0 (दो करोड़ तीरसढ लाख छियासठ हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बागवानीं फसलों (फल, सब्जी, फूल, मसाला, औषधीय एवं सगंध पौधे, पान, मखाना, मधुमक्खी पालन, संरक्षित खेती, जैविक खेती आदि) को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देना कृषि रोड मैप का एक प्रमुख लक्ष्य है। बागवानी फसलों की खेती से किसानों की आय में वृद्धि होती है। ये फसलें मानव के संतुलित आहार के लिए आवश्यक है। बागवानी अतिरिक्त रोजगार सृजन का प्रमुख श्रोत है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का खरीफ कार्यक्रम 2016–17 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची – 1 पर संलग्न है। योजना के तहत् कृषकों का पंजीकरण भारत सरकार कृषि मंत्रालय के Hortnet website पर किया जायेगा, जिसका प्रपत्र अनुसूची–2 संलग्न है।

2. मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना राज्य के उन जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन (MIDH) के तहत अच्छादित नहीं हैं। यह योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन (MIDH) के दिशा निर्देश एवं परिचालनात्मक मार्गदर्शिका के तहत कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना शत्प्रतिशत राज्य योजना से संचालित की जाती है। योजनाओं की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से राज्य बागवानी मिशन द्वारा पूर्व में संचालित विशेष बागवानी फसल को वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में समाहित कर दिया गया है, जिसका कार्यान्वयन संबंधित जिलों के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के वैसे कुछ अवयव, जो कि राष्ट्रीय बागवानी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है, को राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा अच्छादित जिले में भी कार्यान्वित कराया जाएगा।

3. राज्य में उद्यानिक फसलों के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य के 23 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजना स्वीकृत है। फलतः राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तर्ज पर राज्य के शेष 15 जिलों यथा अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना की स्वीकृति दी गई। इस योजना के अवयव, इकाई लागत, अनुदान दर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सदृश्य रखा गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 की भाँति वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी राष्ट्रीय

बागवानी मिशन योजना में शामिल कतिपय मदों के इकाई लागत में वृद्धि एवं इकाई लागत पर निर्धारित अनुदान दरों को 35 से 50% को अक्षुण्ण रखा गया है। फलतः इस योजना के वैसे मदों जिसके अनुदान दरें 35% से 40% है, में 10% से 15% के वृद्धि के प्रस्ताव को पूर्व की भाँति कार्यक्रम में शामिल रखा गया है। विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटी द्वारा इस वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2014–15 में ही स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अवयवों के स्वीकृत इकाई लागत एवं अनुदान दर मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के लिए भी मान्य है। अनुदान दर अनुसूची – 3 पर संलग्न।

4. वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्व से संचालित कार्यक्रमों यथा विशेष फसल योजना को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन में समाहित कर समेकित कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसका कार्यान्वयन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा कराया जाएगा। इस योजना के कतिपय अवयव का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के लिए चिन्हित जिलों में भी कराया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से मखाना, सगंध पौधे, पपीता, स्पेशल इन्टरवेंशन घटक इत्यादि सम्मिलित हैं। इस योजना का परिचालनात्मक दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया वही है, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद से शत–प्रतिशत 13.1833 करोड़ की योजना निर्धारित बजट उपबंध से प्रस्तावित है।

5. कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि रोड मैप में बागवानी विकास को काफी प्रमुखता दी गयी है।

6. बागवानी विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह राज्य के 15 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका वित्त पोषण राज्य योजना से किया जा रहा है।

7. राज्य के प्रत्येक जिले में एक बागवानी फसल को सघन विकास के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् चिन्हित जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से तथा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत् चिन्हित जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना से आच्छादित किया जाता है। इसके बावजूद अतिरिक्त लक्ष्य को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में प्रस्तावित किया गया है।

8. प्रस्ताव में शामिल योजनाओं के लिए कतिपय कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई दर को यथावत् रखते हुये वित्तीय वर्ष 2014–15 में 10–15% अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस अतिरिक्त अनुदान को अक्षुण्ण रखा गया है। तद्नुसार राशि की आवश्यकता का आकलन किया गया है। वर्द्धित अनुदान गत् वर्ष की भांति समान रूप से सभी जिलों में एक समान लागू होगी। राज्य योजना से प्रस्तावित किये गये लक्ष्य को आवश्यकतानुसार किसी भी जिले के लिए कर्णांकित किया जा सकता है।

9. बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी हैं।

10. राशि की निकासी निदेशक, उद्यान द्वारा की जायेगी तथा पी0एल0 खाता सं0–PLA-291 में उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा योजना की राशि बिहार बागवानी विकास सोसायटी के लिए विमुक्त की जायेगी। बिहार बागवानी विकास सोसायटी द्वारा निधि, संबंधित जिला के जिला बागवानी विकास समिति की उपलब्धता Parent Child Account के माध्यम से सुनिश्चित करेगी।

11. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

12. स्वीकृत राशि 2.6366 करोड़ रू0 (दो करोड़ तीरसठ लाख छियासठ हजार रूपये) की निकासी मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–1, उप शीर्ष–0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड P2401007890130, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा में उपबंधित 10.00 करोड़ रू0 से विकलनीय होगी।

13. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा संचिका संख्या– पी0पी0एम0–45/2016 के पृष्ठ 39/प0 पर प्राप्त है तथा माननीय कृषि मंत्री का अनुमोदन 10/टि0 पर एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन 14/टि0 पर प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति दिनांक 23.08.2016 को ((संचिका संख्या– पी0पी0एम0–45/2016 के पृष्ठ संख्या–23/टि० पर) प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/8/16

(रामजी सिंह)
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–45/2016 3831 /कृ0, पटना दिनांक 01-09-2016

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/16

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–45/2016 3831 /कृ0, पटना दिनांक 01-09-2016

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/16

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–45/2016 3831 /कृ0, पटना दिनांक 01-09-2016

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/16

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–45/2016 3831 /कृ0, पटना दिनांक 01-09-2016

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/ मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० कृषि विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/8/16

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Annexure - I

Annual Action Plan of Kharif Programme of Chief Minister Horticulture Mission 2016-17

Chief Minister Horticulture Mission

Sl. No.	Component	Unit Cost (in Lakh) (100%)	Subsidy %age		Unit Subsidy Cost		Physical Target (in ha./nos.)	Financial Target (in Lakh)			Remarks
			as per MIDH/NHM	Additional	as per MIDH/NHM	Additional		as per MIDH/NHM Norms	Additional	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	PLANTATION INFRASTRUCTURE & DEVELOPMENT										
A.1	Production of plant material										
i	Seed production for vegetables and spices										
(a)	Open pollinated crops (Private Sector)	0.35/ Ha.(OP)	35%	15%	0.12250	0.05250	150	18.3750	7.8750	26.2500	
	Sub Total						150	18.3750	7.8750	26.2500	
A. 2	Establishment of new gardens(Area expansion) (ha.)										
I	Fruits										
(a)	Banana (TC)	Subsidy in two installment	(75:25)								
i	Without integration	1.25/ Ha.	40%	10%	0.50000	0.12500	1000	500.0000	125.0000	625.0000	For NHM Distt. also
(b)	Papaya	Subsidy in two installment	(75:25)								
i	Without integration	0.6/ Ha.	50%		0.30000		500	150.0000		150.0000	For NHM Distt. also
(c)	High density planting (mango, guava, litchi, pomegranate, apple, citrus etc). Without integration	(sub. in three installment)	(60:20:20)								
i	Mango	1.0/ Ha.	40%	10%	0.40000	0.10000	400	160.0000	40.0000	200.0000	
ii	Litchi	1.0/ Ha.	40%	10%	0.40000	0.10000	50	20.0000	5.0000	25.0000	
iii	Guava	1.0/ Ha.	40%	10%	0.40000	0.10000	20	8.0000	2.0000	10.0000	
iv	Aonla	1.0/ Ha.	40%	10%	0.40000	0.10000	50	20.0000	5.0000	25.0000	
	Sub Total						2020	858.0000	177.0000	1035.0000	
A.3	Mushrooms										
i	Spawn & Compost distribution	0.0006/Pkt.				0.00054	100000		54.0000	54.0000	For NHM Distt. also
A.4	Flowers (For a maximum of 2 Ha per beneficiary)										
i	Loose Flowers	0.40/ Ha.	40%	10%	0.16000	0.04000	300	48.0000	12.0000	60.0000	For NHM Distt. also
A.5	Spices (For a maximum area of 4 Ha per beneficiary)										
i	Seed spice and Rhizomatic spices	0.30/ Ha.	40%	10%	0.12000	0.03000	300	36.0000	9.0000	45.0000	For NHM Distt. also
	Sub Total						100600	84.0000	75.0000	159.0000	
B.	Human Resource Development (HRD)										
i	Training of farmers										
(a)	Within the State	0.001/ Day/ Farmer.	100%		0.01000		1500	15.0000		15.0000	
	Sub Total						1500	15.0000	0.0000	15.0000	

धनंजय कुमार